संख्या-22/2017/एस-3-523/दस-2017-134(43)/2016

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,

अनुसचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/

कोषाधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

वित्त(सेवायें)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक:24 अगस्त,2017

विषयः-कोषागारो में प्रस्तुत देयकों पर सहायक/उपकोषाधिकारियों को भुगतानादेश पारित करने के अधिकारों की सीमा में वृद्धि ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(सेवायें)विभाग के शासनादेश संख्या एस-3-1887/दस-134(39)/96 दिनांक 24 जून,1996 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में सहायक कोषाधिकारी को शासन द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर राजपत्रित अधिकारियों, विधानमण्डल तथा संसद सदस्यों व पेशन और सरकारी ऋण-पत्रों के ब्याज के बिलों को छोडकर रू0 1000/- तक के अन्य बिलों को पारित करने के अधिकार प्रदत्त किये गये थे ।

2. वर्तमान में मुद्रा के मूल्य परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुये रू0 1000/- की उपर्युक्त सीमा अत्यन्त अप्रर्याप्त एवं अप्रासंगिक हो गयी है। अतः राज्यपाल महोदय एतदद्वारा सहायक/उपकोषाधिकारियों को पूर्व निर्धारित शर्तो के अधीन बिलों के पारण के प्रदत्त अधिकार के उक्त सीमा को रू0 1000/- से बढाकर 10,000/- किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

3. उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें ।

4. उक्त शासनादेश संख्या एस-3-1887/दस-134(39)/96 दिनांक 24-06-1996 को उपर्युक्त पैरा-2 में उल्लिखित सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,

(राजीव कुमार वत्स)

अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-22/2017/एस-3-523/दस-2017-134(43)/2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. निजी सचिव, मा0वित्त मंत्री जी, उ0प्र0शासन ।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन ।
4. समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0 ।
5. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ ।
6. वित्त (लेखा)अनुभाग-1/2
7. सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ ।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार वत्स)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।